2.93 करोड़
से अधिक उपभोक्ताओं को नियमित विद्युत कनेक्शन

28,422
मेगावाट हुई विद्युत उत्पादन क्षमता

12,000 करोड़
रुपये की लागत से 237 पारेषण उपकेन्द्र निर्मित

45,085
सर्किट किमी. पारेषण लाइन नेटवर्क सुधार के लिए बिछाई गई

ऊर्जावान प्रदेश - उत्तर प्रदेश

यूपी ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर

अभूतपूर्व

रमेश वर्मा

उत्तर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीते साढ़े चार वर्ष के दौरान कई बड़े बदलाव किये गये। इन अभूतपूर्व कदमों से ऊर्जा के क्षेत्र में विकास की नई गाथा लिखी गई है। वर्ष 2017 से पूर्व उत्तर प्रदेश को ऊर्जा (बिजली) के मामले में लेस स्टेट कहा जाता था, लेकिन बेहतर सोच और प्रबंधन के चलते महज साढ़े चार साल में उत्तर प्रदेश अब सरप्लस स्टेट हो गया है। आज राज्य में अधिकतम मांग से भी अधिक बिजली उपलब्ध है। 8,262 मेगावाट उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए विभिन्न परियोजनाएं अन्तिम चरण में हैं, इनके पूर्ण होने से वर्ष 2022 तक राज्य में बिजली की उपलब्धता और बढ़ जाएगी। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद पहली बार ऊर्जा विभाग ने 'उपभोक्ता देवो भवः' की नीति पर काम शुरू किया। साढ़े चार वर्ष की अवधि में ही 2.93 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं

को नियमित विद्युत कनेक्शन देने का रिकॉर्ड भी बनाया है। जिला मुख्यालय को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और गांवों को 18-20 घंटे बिजली का रोस्टर लागू है। गांवों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराकर ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ा गया है। बिजली मिलने से गांवों में तमाम उद्योग धंधे पूरी ऊर्जा के साथ चल रहे हैं और गांव खुशहाली के गीत गा रहे हैं।

संकट में भी निर्बाध आपूर्ति

देश में आए कोयला संकट के कारण बिजली उत्पादन में भारी गिरावट हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे समय में भी मंहगे दामों पर बिजली खरीदकर रोस्टर को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि गांवों और तहसीलों को रोस्टर से अधिक बिजली की आपूर्ति कर रही है।

नहीं बढ़ाई बिजली दरें

प्रदेश सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के अभियान के तहत 2.98 से 4.19 रुपये की दर से पीपीए किए। नतीजतन विगत वर्षों से बिजली के दामों में कोई वृद्धि नहीं की गई। लाइन हानियां कम करके सस्ती बिजली की उपलब्धता के अन्य विकल्पों पर भी काम किया जा रहा है। वहीं वर्ष 2017 से पूर्व 5.14 से 11.09 रुपये की दर से दीर्घकालिक पीपीए किये गये थे, जिससे नागरिकों पर मंहगी बिजली का भार पड़ा।

> प्रदेश के विकास के लिए विद्युत क्षेत्र में 'आत्मनिर्भरता' की जरूरत है। आज के युग में बिजली, विकास के लिए मुख्य अवयव है। खेती-किसानी हो, उद्योग-धंधे हों, मेडिकल हो या फिर अध्ययन-अध्यापन, हर कहीं बिजली की जरूरत है। लगातार प्रयासों से प्रदेश में स्थापित पारेषण तंत्र की भार वहन क्षमता 25,000 मेगावाट हो चुकी है।
>
> **योगी आदित्यनाथ**
> मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

फिक्स चार्ज व सरचार्ज माफ

कोविड की विपरीत परिस्थितियों में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं का एक माह का फिक्स चार्ज माफ किया गया। सरकार वाणिज्यिक व निजी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए पहली बार सरचार्ज माफी की योजना लेकर आई जिसमें 1.93 लाख उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज माफ किए गए।

अंडरग्राउंड केबलिंग

1000 एवं अधिक आबादी वाले सभी गांवों में खुले तारों को एबी केबलिंग से बदलने की प्रक्रिया चल रही है। अंडरग्राउंड केबलिंग के कार्यों के तहत 24 जनपदों के 32 स्थानों और 68 सर्किल में विभिन्न परियोजनाओं के तहत 6,035.70 किमी. एलटी व 924.98 किमी एचटी. लाइन बिछाई जा चुकी है।

662 उपकेन्द्रों का निर्माण

प्रदेश को निर्बाध व ट्रिपिंग मुक्त विद्युत आपूर्ति के लिए 673 नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्रों की स्थापना की गई है। साथ ही 1,347 उपकेन्द्रों की क्षमता में वृद्धि की गई है। अब तक कुल 7,786.52 सर्किट किलोमीटर 33 केवी लाइनों का निर्माण किया गया है। इतना ही नहीं बीते साढ़े चार वर्ष में 11 नये पारेषण उपकेन्द्र क्रियाशील किये गये हैं जिससे पारेषण क्षमता में 53 प्रतिशत वृद्धि हुई है। साथ ही 6,100 करोड़ रुपये की पारेषण परियोजनाओं का पीपीपी मोड पर कार्य किया गया है।

शिकायतों का त्वरित निस्तारण

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर खराब होने पर क्रमशः 48 घंटे एवं 24 घंटे के अंदर मरम्मत व नये ट्रांसफॉर्मर की स्थापना की प्रभावी व्यवस्था लागू है। अप्रैल 2017 से अब तक ट्रांसफार्मर खराब होने की कुल 8.30 लाख शिकायतें मिली जिनमें से 99.94 प्रतिशत ट्रांसफार्मर तय समय में बदले गए। इस अवधि में 1912

टॉल फ्री नंबर पर प्राप्त कुल 14.19 लाख शिकायतों में 14.13 लाख यानि 99.59 प्रतिशत शिकायतों का समाधान तय समय पर हुआ है।

डार्क जोन समाप्त

किसानों के हित में डार्क जोन के नाम पर ट्यूबवेल कनेक्शन रोके जाने की किसान विरोधी पूर्व व्यवस्था को योगी सरकार ने रद्द किया। सिंचाई के लिए किसानों को प्रति वर्ष 45,592 के औसत से 1,36,775 नए नलकूप कनेक्शन दिए गए।

उजाला योजना

2 करोड़ 60 लाख 81 हजार 668 एल.ई.डी बल्बों का वितरण उजाला योजना के तहत। इससे विद्युत मांग में सालाना 700 मेगावाट की कमी तथा 3,385 मिलियन यूनिट बिजली एवं 1,355 करोड़ रुपये की बचत।

गांवों को 54 फीसदी अधिक बिजली

योगी आदित्यनाथ सरकार के कार्यकाल में गांवों को 54 प्रतिशत अधिक बिजली मिल रही है। अब किसानों को सिंचाई के लिए रतजगा नहीं करना पड़ता है। किसानों की सुविधा के लिए कृषि फीडरों को अलग किया गया है और इन फीडरों पर सुबह 7 से शाम 5 बजे तक निर्बाध 10 घंटे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। किसानों और गरीबों को सस्ती बिजली देने के लिए 12,500 करोड़ रुपये की सलाना सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। किसानों को 1.20 रुपये प्रति यूनिट पर बिजली मुहैया कराई गई है। साथ ही किसानों के 39,767 निजी नलकूपों के बिजली बिल पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफ किया गया है। बुन्देलखण्ड के किसानों को बिजली बिल के फिक्स चार्ज में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक की छूट दी गई है।

ओटीएस योजना

राज्य में बिजली बिल के 2.14 करोड़ उपभोक्ताओं से बकाये बिल की धनराशि जमा कराने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) की जानकारी उपभोक्ताओं को हर माध्यम से पहुंचाने में जुटा है। रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज के साथ ही उपभोक्ता के घर तक सूचना दी जा रही है। उपभोक्ताओं को बताया जा रहा है कि ओटीएस के तहत उनके बकाये बिल पर कितना ब्याज विभाग ने माफ किया है, अब कितनी धनराशि जमा करनी है।

हर घर हुआ रोशन

- हर गांव, हर मजरे, हर घर तक पहुंची बिजली
- सभी आबाद 1,04,636 राजस्व गांव एवं 2.84 लाख मजरे विद्युतीकृत
- कृषि फीडरों पर 10 घंटे निर्बाध विद्युत आपूर्ति
- 20 साल से चला आ रहा रेगुलेटरी सरचार्ज समाप्त
- 21.25 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के घरेलू विद्युत बिलों पर सम्पूर्ण सरचार्ज माफ
- घर बैठे ऑनलाइन विद्युत संयोजन के लिए ई-संयोजन ऐप योजना लागू
- प्रदेश की ट्रांसमिशन क्षमता वर्ष 2016-17 के 16,348 मेगावाट से 9,000 मेगावाट बढ़कर अब 25,000 मेगावाट हो चुकी है। वर्ष 2025 तक प्रदेश में यह क्षमता 32,400 मेगावाट होगी।
- बेहतर विद्युत व्यवस्था के लिए 10844.39 करोड़ रुपये की लागत से 101 ट्रांसमिशन उपकेंद्र क्रियाशील।

रिकॉर्ड विद्युत कनेक्शन

सौभाग्य योजना

1.41 करोड़ घरों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन सौभाग्य योजना के तहत दिये गये हैं। वर्ष 2018 में प्रदेश को 100 प्रतिशत विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया। साथ ही योजना के तहत पश्चिमांचल, दक्षिणांचल तथा मध्यांचल के 12,786 मजरों में आरईसी व पीएफसी के 1,445 करोड़ रुपये के लोन से 24,885 किमी. जर्जर लाइनों व अन्य योजनाओं में 11,092 किमी. लाइनों को एबी केबलिंग में परिवर्तित किया गया है।

गरीबों के लिए वरदान

रामश्री, महोबा

मुझे 'सौभाग्य योजना' के तहत बिजली का कनेक्शन मिला है। गरीबों के लिए यह योजना वरदान से कम नहीं है। योजना के तहत सोलर पैक भी दिया जा रहा है, जिसमें पांच एलईडी बल्ब और एक पंखा शामिल है। अब बिजली आम आदमी की पहुंच में है।

हिन्दुस्तान मीडिया मार्केटिंग इनीशिएटिव